छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय,रायपुर

क्रमांक 3736 /वि.स./लेखा/2017 रायपुर, दिनांक 26 अक्टूबर, 2017

// कार्यालय आदेश //

विधान सभा सचिवालय में चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयक चिकित्सा परिचर्या नियम- 2013 में उल्लेखित नियमों के तहत निम्नलिखित दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र संलग्न किये जाने के उपरांत ही देयक लेखा कक्ष द्वारा स्वीकार किये जायेगे -

1. चिकित्सा प्रतिपूर्ति आवेदन चिकित्सा परिचर्या नियम-13(1) के अनुसार निर्धारित प्रारूप-एक में तथा नियम-13(2)के अनुसार निर्धारित प्रारूप-दो में प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा ।
2. शासकीय चिकित्सालय में बाह्य रोगी के रूप में उपचार कराने पर नियम-13(2) के तहत प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक द्वारा समयक रूप से देयकों,केशमैमों में हस्ताक्षरित एवं प्रारूप-दो आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक होगा ।
3. मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों में बाह्य रोगी के रूप उपचार कराने पर प्रथमतः नियम-10(1)(2) के अनुसार सिविल सर्जन / चिकित्सा महाविद्यालय का रेफरल प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक होगा ।
4. आकस्मिक परिस्थिति में मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों में अंतः रोगी के रूप में /(भर्ती होकर) उपचार कराये जाने पर नियम-10(7) के अंतर्गत संचालक,चिकित्सा शिक्षा / विधान सभा सचिवालय को सूचित किया जाना आवश्यक होगा ।
5. मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालय में उपचार कराये जाने पर गुण-दोषों के आधार पर संचालक, स्वास्थ्य / संचालक, चिकित्सा शिक्षा को कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाने योग्य होगा ।

...2/

6. चिकित्सा परिचर्या नियम-13(1) के अनुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन प्रारूप-एक में व्यय किये जाने के 6 माह की अवधि के भीतर प्रस्तुत करना होगा ।

7. चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु प्रेषित किये गये देयक एवं प्रमाण पत्र नियम-13(2) के तहत प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक द्वारा हस्ताक्षरित एवं यथा स्थिति सिविल सर्जन द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होने के उपरांत ही देयक स्वीकार किये जायेंगे ।

8. राज्य के बाहर मान्यता प्राप्त/गैर मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में अंतः रोगी/बाह्य रोगी के उपचार कराये जाने पर नियम-11(3) के तहत संचालक चिकित्सा शिक्षा/राज्य शासन के स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के अनुमति के अभाव में स्वीकार नहीं किये जायेगें ।

9. चिकित्सा परिचर्चा नियम-7(3) के प्रावधाननुसार ऐसे रोगियों जिसके लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र जारी किये गये है उन्हें शासकीय चिकित्सालयों में ही उपचार कराना आवश्यक होगा । तथा समस्त देयकों पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर अनिवार्य होगा ।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा ।

आदेश से,

उप सचिव (लेखा)
छत्तीसगढ़ विधान सभा

पृ.क. 3737 /वि.स./लेखा/2017 रायपुर, दिनांक 28 अक्टूबर, 2017
प्रतिलिपि-

1. प्रमुख सचिव,छ.ग.विधान सभा सचिवालय के निज सचिव को प्रमुख सचिव महोदय के सूचनार्थ
2. समस्त अनुभाग अधिकारी एवं शाखा प्रभारी, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय,रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
3. सर्वर कक्ष ।

उप संचालक,(लेखा)
छत्तीसगढ़ विधान सभा